कार्यालय, चक्रधरपुर नगर परिषद
पश्चिमी सिंहभूम।

पत्रांक 164/.   दिनांक 10/03/16

बन्दोवस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत बाटा रोड़, पोस्ट ऑफिस रोड़ एवं कपड़ा पट्टी रोड़ में लगने वाले दैनिक बाजार की महसूल वसूली तथा साईकिल, रिक्शा, रिक्शा ड्राईविंग, बैलगाड़ी एवं ठेला आदि के लाईसेंस, भारत भवन स्थित कॉजी हाउस एवं वार्ड न0- 15 स्थित बस पड़ाव की बन्दोवस्ती वर्ष 2016–17 के लिए मुहरबंद लिफाफे में बन्दोवस्ती राशि नगर परिषद कार्यालय, चक्रधरपुर में दिनांक 18/03/16 को 3 बजे को कार्यालय कार्यकाल में प्राप्त किया जायेगा।

इच्छुक व्यक्ति उक्त तिथि को मुहरबन्द लिफाफे में अपना दर अंकित कर जमा कर सकते है एवं दिनांक 18/03/16 को निविदा निस्तार समिति के समक्ष अपराह्न 3.30 बजे मुहर बंद लिफाफा खोला जायेगा। दर दाता अथवा अनके प्रतिनिधित उपस्थित रहेंगे। बन्दोवस्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति को सुरक्षित जमा राशि का 25 % राशि अग्रधन के रूप में जमा करना होगा। असफल दर दाता को अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगा।

बन्दोवस्ती को स्वीकृत / अस्वीकृत एवं रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। नगर परिषद के पूर्व बकाएदार व्यक्ति इस बन्दोवस्ती में भाग नहीं ले सकेंगे।

बन्दोवस्ती हेतु सुरक्षित राशि :–

क्र0 सं0	बन्दोबस्ती की विवरणी	सुरक्षित जमा राशि (रू0)	जमानत राशि (रू0)
1	2	3	4
1.	साईकिल लाईसेंस वसूली हेतु	40,000.00	10,000.00
2.	बैलगाडी एवं ठेला गाडी लाईसेंस	5,000.00	1,250.00
3.	रिक्शा लाईसेंस	15,000.00	3,750.00
4.	कॉजी हाउस बन्दोवस्ती	11,330.00	2,900.00
5.	बाजार महसुल वसूली(कपड़ा पट्टी, बाटा रोड एवं पोस्ट ऑफिस रोड)	2,00,000.00	50,000.00
6.	बस पडाव की बन्दोवस्ती	8,00,000.00	2,00,000.00
7.	रिक्शा ड्राईविंग लाईसेंस बन्दोवस्ती	5,000.00	1,250.00

नियम एवं शर्ते :–

1. यदि बन्दोवस्तधारी निर्धारित समय पर किस्त जमा नहीं करते है तो कार्यपालक पदाधिकारी, चक्रधरपुर नगर परिषद को उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने एवं बन्दोवस्ती रद्द करने का अधिकार होगा।
2. बन्दोवस्ती स्थल की सफाई, रोशनी, पानी एवं सुरक्षा व्यवस्था बन्दोवस्तधारी को स्वंय करना होगा।
3. बन्दोवस्ती अवधि में किसी प्रकार का छुट नहीं दी जायेगी जैसे – दैविक प्रकोप, हड़ताल, बन्दी, व्यापारियों के आवागमन पर होने वाले व्यवधान इत्यादि।
4. बन्दोवस्ती स्थल के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद अथवा दुर्घटना के लिए बन्दोवस्तधारी स्वयं जिम्मेदार होगे।

कार्यपालक पदाधिकारी
चक्रधरपुर नगर परिषद

ज्ञापांक 164 / चक्रधरपुर, दिनांक 10/03/16 /

प्रतिलिपि :– सम्पादक – प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि न्यूनतम पठनीय दर पर प्रकाशित की जाय।

प्रतिलिपि – अनुमंडल कार्यालय, चक्रधरपुर के सूचना पट्ट / प्रखण्ड कार्यालय, चक्रधरपुर के सूचना पट्ट एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ तथा सभी पूर्व बन्दोवस्तीधारी को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर,को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
चक्रधरपुर नगर परिषद